फर्द अहकाम

जितेन्द्र **बनाम** कालू व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 81/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी की कुर्रेजात रिपोर्ट पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया अनुसार व प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है। जिसके बाबत पक्षकारान की ओर से उपस्थित होकर सहमति भी व्यक्त की गई है परन्तु प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित अनुसूची के खण्ड सं. 04 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा की प्रारम्भिक डिक्री के निर्देशानुसार विक्रेता प्रतिवादी सं. 03 सुरज्ञान पुत्र गोपाल के स्थान पर क्रेता/प्रतिवादी 07 सुखबीरसिंह पुत्र कुशलसिंह चौहान को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, अपितु पूर्ववत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विक्रेता प्रतिवादी सं. 03 ~~[illegible]~~ सुरज्ञान पुत्र गोपाल को ही स्थापित/प्रदर्शित किया गया है। श्री सुखबीरसिंह पुत्र कुशलसिंह चौहान के [illegible] जिसके बाबत पक्षकारान [illegible] सहमति भी व्यक्त की गयी [illegible] अतः तहसीलदार आमेर को ओर से	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.10.16 13:40:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

जितेन्द्र बनाम बालू व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 81/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	29/08/25	प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन अनुसार कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टि : उपखण्ड सं. 04 के अन्तर्गत खातेदार सुरजान पुत्र गोपाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 (विक्रेता) के नाम को विलोपित किया जाकर उक्त स्थान पर क्रेता धनवार सुपुत्र सिंह पुत्र पूरणसिंह को प्रतिस्थापित किया जाकर प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद बाबत अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा अंतिम डिक्री का जुज हिस्सा रहेगी। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker.
Date: 2025.10.16 13:40:47 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**
वाद सं. : 81/2020 **निर्णय दिनांक 29.08.2025**

1. जितेन्द्र सैनी पुत्र औंकारमल सैनी जाति मालि
निवासी वार्ड नं. 2 पांच्या की ढाणी रेनवाल रोड कस्बा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कालू पुत्र मांग्या
2. किशना पुत्र मांग्या
3. सुरज्ञान पुत्र गोपाल
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम जुगलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. कॉपोरेशन बैंक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. सूबे सिंह पुत्र पूरण सिंह चौहान जाति राजपूत
निवासी बी–179 गंगासागर वैशाली नगर जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रस्तुत कुरेंजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यो के समग्र विवेचन से प्रस्तुत कुरेंजात रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया अनुसार व प्रावधानो एवं पक्षकारान हितों के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है जिसके बाबत पक्षकारान की ओर से उपस्थित होकर सहमति भी व्यक्त की गई है, परन्तु प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टि के खण्ड सं. 4 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा की प्राथमिक डिकी के निर्देशानुसार विकेता प्रतिवादी सं. 3 सुरज्ञान पुत्र गोपाल के स्थान पर केता सूबे सिंह पुत्र पूरण सिंह चौहान को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। अपितु पूर्ववत राजस्व रिकार्ड अनुसार विकेता प्रतिवादी सं. 3 सुरज्ञान पुत्र गोपाल को ही स्थापित/प्रदर्शित किया गया है जो सूबे सिंह पुत्र पूरण सिंह चौहान के रूप में दुरूस्तनीय है। जिसके बाबत पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर भी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन अनुसार कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी के खण्ड सं. 4 के अन्तर्गत उल्लेखित खातेदार सुरज्ञान पुत्र गोपाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 (विकेता) को विलोपित किया जाकर उक्त स्थान पर केता पक्षकार सूबे सिंह पुत्र पूरण सिंह चौहान को प्रतिस्थापित किया जाकर प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिकी किया जाता है। प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय/डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कालू पुत्र मांग्या हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार किशना पुत्र मांग्या हि. 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राहिन कॉपोरेशन बैंक शाखा चन्दवाजी जितेन्द्र सैनी पुत्र औंकारमल सैनी [illegible] माली नि. वार्ड नं. 2 पांचया की ढाणी रेनवाल रोड कस्बा चौमू तहसील चौमू जयपुर खाते[illegible] सुरज्ञान पुत्र गोपाल हि. 1/4 जाति [illegible] खातेदार	360 361 362	0.14 0.13 0.20	चाही A 0.08 जाव A 0.06 चाही A 0.13 चाही A 0.20	3.40 1.26 5.53 8.50
	कुल किता	3	0.47	–	18.69

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.10.16 13:40:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

जितेन्द्र बनाम कालू व अन्य
वाद सं.–81/2020
निर्णय दिनांकः–   29.08.2025

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	कालू पुत्र मांग्या हि. पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	360/1	0.1175	चाही A 0.08 जाव A 0.0375	3.40 0.7875
	कुल किता	1	0.1175	–	4.1875
2	जितेन्द्र सैनी पुत्र औंकारमल सैनी हि. पूर्ण जाति माली नि. वार्ड नं. 2 पांचया की ढाणी रेनवाल रोड कस्बा चौमू तहसील चौमू जयपुर खातेदार	360/2 361/1	0.0225 0.095	जाव A 0.0225 चाही A	0.4725 4.0375
	कुल किता	2	0.1175	–	4.5150
3	किशना पुत्र मांग्या हि. पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा चन्दवाजी	361/2 362/1	0.035 0.0825	चाही A 0.035 जाव A 0.0825	1.4875 3.5062
	कुल किता	2	0.1175	–	4.9937
4	सूबे सिंह पुत्र पूरण सिंह चौहान हि. 1/4 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	362/2	0.1175	चाही A 0.1175	4.9938
	कुल किता	1	0.1175	–	4.9938

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
.........का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.08.2025 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी / उपजिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा ....मुख्यालय–जयपुर.........

मुहर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
[illegible]					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपजिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.10.16 13:40:47 IST
Reason: SelfAttested